IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT JABALPUR

BEFORE

HON'BLE SHRI JUSTICE ANAND PATHAK

ON THE 14th OF MAY, 2024

CRIMINAL REVISION No. 2012 of 2024

BETWEEN:-

UNDER CONFLICTED WITH LAW

.....PETITIONER

(BY SHRI RAJESH SAHU - ADVOCATE)

AND

THE STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH POLICE STATION AJAK KATNI, DISTT. KATNI (MADHYA PRADESH)

.....RESPONDENT

(BY SHRI SANJEEV SINGH PARIHAR – PANEL LAWYER)

This revision coming on for admission this day, the court passed the following:

ORDER

1. This is criminal revision filed under Section 102 of Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (for short "Act of 2015") filed on behalf of Child in conflict with Law(CICL), being aggrieved by the order dated 24.02.2024 passed by A.S.J. to the Court of Additional Judge Katni Distt. Katni in Criminal Appeal

No.26/2022 arising out of the order dated 15.02.2024 passed by Principal Magistrate Kishore Nyay Board Katni, Distt. Katni

2. It is a submission of learned counsel for petitioner/revisionist that Child in Conflict with Law (CICL) is suffering custody since 13.02.2024. It is a matter of bail jump. Earlier bail was granted by the Juvenile Justice Board but because he could not appear, therefore, he was placed under custody. Allegations against the petitioner are minor in nature, but he is suffering custody for last three months. Looking to the nature of allegations and the period of custody this case be considered for bail and revision be allowed accordingly.

6. On the other hand, learned counsel for the respondent/State opposed the prayer, and prayed for dismissal of petition.

7. Heard learned counsel for the parties at length and perused the record.

8. After consideration, revision stands **allowed** and impugned order dated 24.02.2024 and 15.02.2024 are hereby set aside and petitioner is released on bail on his furnishing personal bond of **Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only)** with one solvent surety of the like amount by his father/guardian with an undertaking that:- (i) he shall take care of CICL and would involve him in creative pursuit or

(ii) CICL/petitioner shall plant 05 sapling as part of community service and would involve in creative pursuit and would take care said

saplings till they are grown as full fledged trees so that he may learn the lesson by way of alignment with nature.

एतद् द्वारा यह भी निर्देशित किया जाता है कि **आवेदक 05 पौधों का फल देने वाले पेड़ अथवा नीम/पीपल** रोपण करेगा तथा उन्हे अपने आस पडोस में पेड़ों की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने की व्यवस्था करनी होगी ताकि पौधे सुरक्षित रह सके। आवेदक का यह कर्तव्य है कि न कवेल पौधों को लगाया जाऐ, बल्कि उन्हें पोषण भी दिया जाए। **''वृक्षारोपण के साथ, वृक्षापोषण भी आवश्यक है।''** आवेदक विशेषतः **6–8 फीट ऊूंचे पौधे/पेड़ों को लगायेगे ताकि वे शीघ्र ही पूर्ण विकसित हो सकें।** अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आवेदक को रिहा किये जाने की दिनांक से **30 दिनों के भीतर विचारण न्यायालय** के समक्ष वृक्षों/पौधों के रोपण के सभी फोटो प्रस्तुत करने होगें। तत्पश्चात्, अगले तीन वर्ष तक हर तीन महीने में आवेदक के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

वृक्षों की प्रगति पर निगरानी रखना आवेदक का कर्तव्य है क्योंकि पर्यावरण क्षरण के कारण मानव अस्तित्व दांव पर है और न्यायालय अनुपालन के बारे में आवेदक द्वारा दिखाई गई किसी भी लापरवाही को नजर अंदाज नही कर सकता है। इसलिए आवेदक को पेड़ों की प्रगति और आवेदक द्वारा अनुपालन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है एवं आवेदक द्वारा किये गये अनुपालन की एक संक्षप्ति रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तीन माह में प्रस्तुत की जायेगी।

वृक्षारोपण में या पेड़ों की देखभाल में आवेदक की ओर से की गई कोई भी चूक आवेदक को जमानत का लाभ लेने से वंचित कर सकती है।

आवेदक को अपनी पसंद के स्थान पर इन पौधों/पेडों को रोपने की स्वतत्रंता होगी, यदि वह इन रोपे गये पेडों की ट्री गार्ड या बाड़ लगाकर रक्षा करना चाहता है, अन्यथा आवेदक को वृक्षों के रोपण के लिए तथा उनके सुरक्षा उपायों के लिए आवश्यक खर्चे वहन करना होगें।

इस न्यायालय द्वारा यह निर्देश एक परीक्षण प्रकरण के तौर पर दिए गए हैं ताकि हिंसा और बुराई के विचार का प्रतिकार, सृजन एवं प्रकृति के साथ एकाकार होने के माध्यम

से सामांजस्य सीापित किया जा सके। वर्तमान में मानव अस्तित्व के आवश्यक अंग के रूप में दया, सेवा, प्रेम एवं करूंणा की प्रकृति को विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह मानव जीवन की मूलभूत प्रवृतियां हैं और मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इनका पुनर्जीवित होना आवश्यक है।

यह निर्देश आवेदक के द्वारा स्वतः व्यक्त की गई सामुदायिक सेवा की इच्छा के कारण दिया गया है जो स्वैच्छिक है।

''यह प्रयास केवल एक वृक्ष के रोपण का प्रश्न न होकर बल्कि एक विचार के अंकुरण का है।''

It is expected from the petitioner that he shall submit photographs by downloading the mobile application (NISARG App) prepared at the instance of High Court for monitoring the plantation through satellite/Geo-tagging/Geo-fencing.

Revision stands **allowed and disposed of.**

A copy of this order be sent to the trial Court concerned for compliance and information.

Certified copy as per rules.

(ANAND PATHAK)
JUDGE

VPA

VAISHALI TRIPATHI
2024.05.15 12:09:57 +05'30'